



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 भाद्र, 1947 (श०)

संख्या - 406 राँची, गुरुवार,

28 अगस्त, 2025 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

28 अगस्त, 2025/ भाद्र 06, 1947(शक)

सं.480/गणना/2025:- राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 27 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग 9 सितंबर, 2025 (मंगलवार) को ऐसे दिन के रूप में जिस दिन और उस दिन के सांय 6:00 बजे का समय उस समय के रूप में नियत करता है, जिस समय पर उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2025 के मतों की गणना कक्ष सं.- एफ-101, वसुधा, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में की जाएगी।

आदेश से,

(सुमन कुमार दास)

सचिव

उपरोक्त आदेश का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के० रवि कुमार)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION28th August, 2025 / Bhadra 06, 1947 (Saka)

No. 480/Counting/2025:- In pursuance of Rule 27 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission of India hereby appoints the 9th September, 2025 (Tuesday), as the day on which and 6.00 p.m. of that day as the time at which, the counting of votes for the Vice-Presidential Election, 2025 shall take place in Room No. F-101, Vasudha, First Floor, Parliament House, New Delhi.

By Order,

(SUMAN KUMAR DAS)
SECRETARY
